निर्णय 251(क) ~~मोहन बनाम सोया~~ नीम्बाराम बनाम उदाराम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– **श्री लाखाराम (आर.ए.एस.)**
राजस्व आवेदन संख्या :– [redacted] 71/2023

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
1. नीम्बाराम पुत्र ईशराराम जाति जाट निवासी शिवजी का मन्दिर पटवार मण्डल बोर चारणान तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर।		1. उदाराम पुत्र रामाराम 2. केसाराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी पीपराली हाल निवासी शिवजी का मन्दिर पटवार क्षेत्र बोर चारणाान् तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर। 3. गेनाराम पुत्र नरसीराम 4. गोरधनराम पुत्र मूलाराम 5. चेनी पत्नी मूलाराम जाति जाट निवासी रामजी का गोल फांटा पीपराली तहसील गुड़ामालानी बाड़मेर राजस्थान। 6. चिमनाराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी पीपराली हाल निवासी शिवजी का मन्दिर पटवार क्षेत्र बोर चारणाान् तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर। 7. जसाराम पुत्र किसनाराम 8. ठाकराराम पुत्र भैराराम 9. ताजाराम पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी रामजी का गोल फांटा पीपराली तहसील गुड़ामालानी बाड़मेर राजस्थान। 10. दुर्गाराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी पीपराली हाल निवासी शिवजी का मन्दिर पटवार क्षेत्र बोर चारणाान् तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर। 11. दलूदेवी पत्नी भैराराम 12. धरमाराम पुत्र देरामाराम 13. पेमाराम पुत्र मूलाराम 14. प्रभूराम पुत्र उदारा 15. पुराराम पुत्र नरसींगाराम 16. पारूदेवी पत्नी नरसींगाराम 17. बाबूलाल पुत्र नरसींगाराम 18. भगवानाराम पुत्र उदाराम 19. भींयाराम पुत्र देरामाराम 20. राजूराम पुत्र मूलाराम 21. सवाईराम पुत्र भैराराम 22. हेमाराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी रामजी का गोल फांटा पीपराली तहसील गुड़ामालानी बाड़मेर राजस्थान। 23. कानाराम पुत्र हुकमाराम 24. किशनाराम पुत्र हुकमाराम 25. गंगाराम पुत्र हुकमाराम 26. गंवरी पत्नी सोनाराम 27. धर्माराम पुत्र सोनाराम 28. प्रभूराम पुत्र सोनाराम 29. लाखाराम पुत्र सोनाराम 30. हेमाराम पुत्र ईशराराम जाति जाट निवासी शिवजी का मन्दिर बोर चार[illegible] धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान। 31. शाखा प्रबंधक आईसीआईसीआई [illegible] लिमिटेड शाखा रामजी का गोल तहसील गु[illegible] जिला बाड़मेर। 32. शाखा प्रबंधक बालोतरा [illegible] भूमि विकास बैंक लि. शाखा धोरीमना तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर। 33. शाखा प्रबंधक राजस्थ[illegible] ग्रामीण बैंक शाखा धोरीमना। 34. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गुड़ामालानी। 35. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमना

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:44:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (बाड़मेर)

01/11/23
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमना (बाड़मेर)

निम्बाराम बनाम उदाराम

निर्णय 251(क) [redacted]

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:– 21-6-23

अधिवक्तागण:–

01. श्री देवाराम चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी
02. विप्रार्थीगण एक तरफा

–::निर्णय::– दिनांक:– 01-11-23

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री देवाराम चौधरी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी नीम्बाराम पुत्र ईशराराम उम्र 62 वर्ष जाति जाट निवासी शिवजी का मन्दिर पटवार मण्डल बोर चारणान तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर आपके उपखण्ड क्षेत्र के अधीन खातेदार व काश्तकार हूँ प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व खातेदारी खेत में आने–जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, आने–जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी को जोत तक पहुँचने के लिए नये रास्ते हेतु अनुमति चाहता है।। उक्त अनुमति प्रार्थी कों under sub-section (1) of section 251-A of the Rajasthan Tenancy Act, 1955. के तहत सुविधा प्रदान की जावें। (i) यह हैं कि प्रार्थी जोत का विवरण निम्नानुसार है:–(अ) ग्राम– शिवजी का मन्दिर पटवार मण्डल बोर चारणाान तहसील धोरीमना उपखण्ड क्षेत्र धोरीमना।(ब) खसरा नम्बर 88 क्षेत्रफल 10.8860 हैक्टेयर यह हैं कि प्रार्थी अपनी संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 88 तक पहुँचने के लिए निम्न खातेदारों व खसरान् की जोत में से नया रास्ता करने हेतु आवेदन किया है।

(i) नाम खातेदार :–

क्रं.स. नाम मय वल्दियत उम्र जाति निवासी

1. उदाराम पुत्र रामाराम
2. केसाराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी पीपराली हाल निवासी शिवजी का मन्दिर पटवार क्षेत्र बोर चारणाान् तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर।
3. गेनाराम पुत्र नरसीराम
4. गोरधनराम पुत्र मूलाराम
5. चेनी पत्नी मूलाराम जाति जाट निवासी रामजी का गोल फांटा पीपराली तहसील गुड़ामालानी बाड़मेर राजस्थान।
6. चिमनाराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी पीपराली हाल निवासी शिवजी का मन्दिर पटवार क्षेत्र बोर चारणाान् तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर।
7. जसाराम पुत्र किसनाराम
8. ठाकराराम पुत्र भैराराम
9. ताजाराम पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी रामजी का गोल फांटा पीपराली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
10. दुर्गाराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी पीपराली हाल निवासी शिवजी का मन्दिर पटवार क्षेत्र बोर चारणाान् तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर।
11. दलूदेवी पत्नी भैराराम
12. धरमाराम पुत्र देरामाराम
13. पेमाराम पुत्र मूलाराम
14. प्रभूराम पुत्र उदारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:44:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमना (बाड़मेर)

01/11/23

उपखण्ड अधिकारी धोरीमना (बाड़मेर)

15. पुराराम पुत्र नरसींगाराम
16. पारूदेवी पत्नी नरसींगाराम
17. बाबूलाल पुत्र नरसींगाराम
18. भगवानाराम पुत्र उदाराम
19. भींयाराम पुत्र देरामाराम
20. राजूराम पुत्र मूलाराम
21. सवाईराम पुत्र भैराराम
22. हेमाराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी रामजी का गोल फांटा पीपराली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

(ii) ग्राम– शिवजी का मन्दिर पटवार मण्डल बोर चारणान् तहसील धोरीमना उपखण्ड क्षैत्र धोरीमना जिला बाड़मेर (iii) विप्रार्थी संख्या 01 से 22 की खातेदारी खेत ग्राम शिवजी का मन्दिर के खसरा नम्बर 89 क्षेत्रफल 10.1495 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में से नया रास्ता (30 फिट) प्रस्तावित है। प्रस्तावित रास्ता परशिष्ट "ए" में लाल रंग से दर्शाया गया है। प्रार्थी के ग्राम शिवजी का मन्दिर खसरा नम्बर 88 से आगे विप्रार्थी संख्या 01 से 22 के खसरा नम्बर 89 के आगे खसरा नम्बर 89/1 गैर मुमकिन सड़क है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई नजदीक उपयुक्त रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ता ही उपयुक्त व सुविधाजनक है। माननीय न्यायालय द्वारा जो भी रकम प्रतिकर के रूप में नियमानुसार देय का आदेश देने पर जरिये चैक जमा करने के लिए प्रार्थी तैयार हैं। भूमिपति तहसीलदार होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। विप्रार्थी संख्या 23 से 31 प्रार्थी के सह खातेदार होने से पक्षकार बनाया है जिनके खिलाफ कोई इस्तदुआ नहीं चाही गई। विप्रार्थी संख्या 01 सह खातेदार भी हैं रास्ते हेतु प्रस्तावित खसरा नम्बर 89 के खातेदार भी है। भूमि बैंक में रहन होने से बैंक को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वादग्रस्त आराजी मौजा शिवजी का मन्दिर पटवार क्षेत्र बोर चारणान् तहसील धोरीमना में स्थित होने से यह आवेदन माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार का है। आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी (संशोधित) अधिनियम 2010 के तहत होने से निर्धारित न्यायशुल्क के रूप में 2/– रूपये के मुद्रांक साथ पेश है। अतः श्रीमान्जी से निवेदन है कि प्रार्थी संयुक्त खातेदारी के खेत ग्राम शिवजी का मन्दिर खसरा नम्बर 88 क्षेत्रफल 10.8860 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम तक आने–जाने के लिए नया रास्ते हेतु विप्रार्थी संख्या 01 से 22 की खातेदारी खेत ग्राम शिवजी का मन्दिर के खसरा नम्बर 89 क्षेत्रफल 10.1495 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में से नया गैर मुमकिन रास्ता (30 फिट) स्वीकृत करने का कष्ट करावें। जो नक्शा ट्रेस में परिशिष्ट "ए" के अनुसार दर्शाया गया है। जिसको नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शाया गया है। उक्त रास्ते की स्वीकृति की इस्तदुआ चाही गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:44:57 IST
Reason: Self Attested

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। एवं अप्रार्थीगण को जरिए रजि. डाक ए.डी. से नोटिस भिजवाए गए, अप्रार्थी सं. 1 से 34 तामिल के बावजूद हाजा न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता की उभयपक्ष की विस्तारपूर्वक सुनी गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात् नजरी नक्शा, जमाबंदी एवं मौका रिपोर्ट तहसीलदार धोरीमन्ना का गहनता से अध्ययन किया गया।

01/11/23

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमना (बाड़मेर)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) में निम्नलिखित विधिक प्रावधान है:–

रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251(क) में कानूनी प्रावधान निम्नानुसार है:–

251(क) "अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना सा विद्यमान मार्ग का विस्तार करना –

(1) जहां

(क)– कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है, या

(ख)– कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है–

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि–

(A)– यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(B)– अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नए मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो इस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जावे, भूमि में से होकर और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाए तो लद्युतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जावे, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2)– जहां–उपधारा

(1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाए वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वाचित------ की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जाएगी।

(3)– वे व्यक्ति, जिनको उपधारा(1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाए, कोई भी अ[illegible] अर्जित नहीं करेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:44:57 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार स्पष्ट है कि धारा 251(क) में यह आज्ञापक विधिक [illegible]यकता है कि रास्ता इसी दशा में स्वीकृत किया जा सकता है, जबकि उसकी आत्यंतिक आवश्यकता हो, साथ ही कोई भी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो।

भू–अभिलेख निरीक्षक बोर चारणान् की दिनांक 21.07.2023 जांच रिपोर्ट, मौका फर्द एवं प्रस्तावित रास्ते के नजरी नक्शे एवं जमाबंदी के अनुसार पटवार मण्डल बोर चारणान् ग्राम शिवजी का मन्दिर खसरा संख्या 88 क्षैत्रफल 10.8860 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम की संयुक्त सहखातेदारी की आराजी है तथा विप्रार्थी संख्या 01 से 22 की खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (बाड़मेर)

खेत ग्राम शिवजी का मन्दिर के खसरा संख्या 89 क्षैत्रफल 10.1495 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की आराजी है।

प्रार्थी की कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए एकमात्र न्यूनतम एवं निकटतम रास्ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक बोर चारणान् के जांच प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम शिवजी का मन्दिर खसरा सं. 89 क्षैत्रफल 10.1495 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम में से 11.42 मीटर लम्बा एवं 7 मीटर चौड़ा (क्षेत्रफल–11.42x7=80) रास्ता नक्शा ट्रेस में दर्शाए गए हरे रंग के अनुसार कुल 0.0080 हैक्टेयर रकबा का प्रस्तावित है।

हम भू.अ.नि. बोर चारणान् की रिपोर्ट से सहमत हैं तथा यह स्पष्ट है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच के लिए कोई अभिलिखित रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा केवल मात्र सुविधा के लिए रास्ते की मांग नहीं की जा रही है तथा प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम एवं निकटतम वैकल्पिक रास्ता है। तहसीलदार धोरीमन्ना की रिपोर्ट अनुसार ग्राम शिवजी का मन्दिर के उक्त खसरा संख्या 89 की भूमि की वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर . 231829 रुपए प्रति हैक्टेयर है। खसरा सं. 89 में से रास्ता हेतु प्रस्तावित 80 वर्ग मीटर भूमि की आनुपातिक वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर 1855 रुपए बनती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि सरहद मौजा शिवजी का मन्दिर के खसरा सं. 89 में से 80 वर्ग मीटर भूमि पर से भू.अ. नि. बोर चारणान् के प्रस्ताव अनुसार (नक्शा ट्रेस में गुलाबी रंग के अनुसार) खातेदारान अप्रार्थीगण की अभिधृति निर्वापित करते हुए, खातेदारी भूमि में से कम करते हुए सार्वजनिक रास्ता सिवायचक स्वीकृत करते हुए नियम अनुसार प्रतिकर राशि का भुगतान किया जाना स्वीकृत करते हुए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

–: : आदेश : :–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित होने तथा सारवान होने से स्वीकार किया जाता है।

01. तहसीलदार धोरीमन्ना एवं भू.अ.नि. उड़ासर के प्रस्तावित नजरी नक्शे के अनुरूप (रंग हरा) ग्राम शिवजी का मन्दिर के खसरा सं. 89 में से 11.42 मीटर लम्बा एवं 7 मीटर चौड़ा (क्षेत्रफल–11.42x7=80) रास्ता अप्रार्थी संख्या 01 से 22 के खातेदारान की अभिधृति निर्वापित करते हुए, इसका रकबा खातेदारी भूमि में से कम करते हुए इसे सार्वजनिक रास्ता सिवायचक स्वीकृत किया जाता है।

02. उपर्युक्त खसरा 89 की प्रचलित डी.एल.सी. दर 231829 रुपए प्रति बीघा है तथा स्वीकृत रास्ता भूमि जिसके लिए प्रतिकर देय है अर्थात् 80 वर्ग मीटर भूमि की आनुपातिक प्रचलित डीएलसी दर 1855 रुपए बनती है। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम–1955 के नियम 70(1)(II)(क) के अनु[illegible] राशि प्रचलित वर्तमान डीएलसी दर की दुगुनी अर्थात् 3710 रुपए [illegible] रुपए मात्र) निर्धारित करते हुए तहसीलदार धोरीमन्ना को नि[illegible] किया जाता है कि वह निर्धारित प्रतिकर राशि प्रार्थी से प्राप्त कर [illegible] के खातेदारान अप्रार्थी संख्या 01 से 22 को रास्ता प्रयोजनार्थ खातेदारी से कम की गई भूमि के अनुपात में भुगतान/वितरित करें।

03. खसरा सं. 89 के खातेदारान अप्रार्थी संख्या 01 से 22 तक द्वारा निर्धारित प्रतिकर की राशि प्राप्त नहीं करने पर उसे तब तक जमा रखें जब तक ऐसे

01/11/24
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:44:57 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार/वारिसान ऐसी राशित प्राप्त नहीं कर लें। ऐसी राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा।

04. तहसीलदार धोरीमना के कार्यालय से प्राप्त मौका रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2023/1279 दिनांक 28.07.2023 के अनुसार पटवार मण्डल बोर चारणान् ग्राम शिवजी के मन्दिर के खेत खसरा संख्या 89 में से 11.42 मीटर लम्बा एवं 7 मीटर चौड़ा (क्षेत्रफल–11.42x7=80) रास्ता विप्रार्थी संख्या 01 से 22 के खातेदार में से कम कर राजस्व रेकर्ड में अमल– दरामद करें। मौका रिपोर्ट निर्णय की अभिन्न अंग व अंश रहेगी।

05. तहसीलदार धोरीमन्ना भू–अभिलेख में अमल–दरामद कर मौके पर रास्ते का सीमांकन/पत्थरगढ़ी कर स्वीकृत रास्ता चालू करावे एवं मौके पर कोई अवरोध पाए जाने पर उन्हें हटाएं।

06. तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो।

07. पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

01/11/23

(लाखाराम)RAS
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला–बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक–01/11/2023 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

01/11/23

(लाखाराम) RAS
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला–बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:44:57 IST
Reason: SelfAttested